



2026:AHC-LKO:16515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 136/ 2026

जयराम यादव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 11 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुलायम सिंह यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री मुलायम सिंह यादव की वादधारक अधिवक्ता, सुश्री अर्चना शुक्ला और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- शिवपुर महंत, तहसील- उतरौला, बलरामपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 493/0.0320 हेक्टेयर और 495/0.0550 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, उतरौला द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है।
4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता लिखित निर्देशों में किये गए कथन का खंडन नहीं करते हैं।
6. चूंकि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण हो चुका है, अतः वर्तमान याचिका को निष्प्रयोज्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

27 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।